संख्या– 3384/नौ–8–10–56ज/07

प्रेषक,

आलोक रंजन,
प्रमुख सचिव,
नगर विकास विभाग,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग–8 लखनऊः दिनांकः 04 फरवरी, 2011

विषयः नेशनल ई–गवर्नेन्स प्लान के अन्तर्गत स्टेट सर्विस डिलीवरी गेटवे ई–फार्म्स योजना के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों (शहरी क्षेत्रों) में जन्म प्रमाण पत्र/ मृत्यु प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नेशनल ई–गवर्नेन्स प्लान के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों के शहरी क्षेत्रों में निम्नलिखित सेवायें इलेक्ट्रानिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा उपलब्ध करायी जाने का शासन द्वारा निर्णय लिया गया है :–

1– जन्म प्रमाण पत्र (मूलप्रति एवं डुप्लीकेट प्रति) निर्गत किया जाना।
2– मृत्यु प्रमाण पत्र (मूल प्रति एवं डुप्लीकेट प्रति)निर्गत किया जाना।

उक्त कार्य की एक संक्षिप्त प्रकिया संलग्नक के रूप में इस पत्र के साथ संलग्न है।

2– प्रदेश के 06 जनपदों यथा गोरखपुर, सुल्तानपुर, सीतापुर, रायबरेली, गौतमबुद्ध नगर एवं गाजियाबाद में पायलट ई–डिस्ट्रिक्ट योजना के अन्तर्गत नगर विकास विभाग से सम्बन्धित शासनादेश पूर्व में निर्गत किये गये है। अतः इन 06 जनपदों में उक्त सेवाएं पूर्व की भांति ई–डिस्ट्रीक्ट योजना में प्रावधिानित प्रकिया के अनुसार ही आच्छादित होती रहेंगी। अवशेष जनपदों में यह सेवा संलग्नक में दी गयी प्रक्रिया के अनुसार इलेक्ट्रानिक विधि से उपलब्ध कराई जायेगी। इसके अतिरिक्त अन्य सेवायें नयी व्यवस्था के अन्तर्गत समस्त जनपदों में (ई–डिस्ट्रिक्ट जनपदों को भी सम्मिलित करते हुये) लागू की जायेगी।

3– भविष्य में 06 जनपदों में लागू ई–डिक्ट्रीक्स योजना को अन्य जपनदों में रोलआउट किया जाना प्रस्तावित है जिसके उपरान्त उक्त प्रकियाओं का पूर्ण रूप से बैंक ऑफिस आटोमेशन हो जायेगा तथा उसके उपरान्त उक्त सेवायें 06 जनपदों की भॅाति ई–डिस्ट्रिक्ट के लिये निर्धारित प्रकिया के अनुसार ही होने लगेगी जिसके सम्बन्ध में तत्समय अलग से आदेश पारित किये जायेंगें।

4– उपर्युक्त नवीन व्यवस्था के अन्तर्गत संदृर्भित सेवायें इलेक्ट्रानिक डिलीवरी सिस्टम से जनमानस को उपलब्ध करायी जायेगी। इस हेतु आवश्यक है कि इन सेवाओं को उपलब्ध कराने हेतु जनपद स्तर के सक्षम अधिकारियों के पास डिजिटल सिग्नेचर हों। ऐसे अधिकारियों को डिजिटल सिग्नेचर एनआईसी द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे जिसके लिये जनपद स्तर के सम्बन्धित अधिकारियों को निर्धारित प्रारूप पर आवेदन करते हुए सक्षम स्तर से प्रमाणित एवं

अग्रसारित कराते हुए एनआईसी को उपलब्ध कराना होगा। इस हेतु जिला स्तर पर एनआईसी के जिला सूचना विज्ञान अधिकारियों (डीआईओ) से सम्पर्क स्थापित कर सहायता प्राप्त की जा सकती है। सेवा से सम्बन्धित अधिकारी के स्थानान्तरण के उपरान्त डिजिटल सिग्नेचर में परिवर्तन के लिये आवश्यक प्रक्रिया जनपद स्तर के अधिकारियों को ही पूर्ण करनी होगी। जिसके लिये सम्बन्धित जनपद के डीआईओ, एनआईसी से सहयोग प्राप्त किया जा सकता है।

5— कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने तथा कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक—यथोक्त।

भवदीय

(आलोक रंजन)

प्रमुख सचिव।

संख्या तथा दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— प्रमुख सचिव, आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन।

2— समस्त नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद(शहरी क्षेत्र)।

3— समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

4— प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को एवं राज्य समन्वयक, सेण्टर फॉर ई—गवर्नेन्स, उ0प्र0 लखनऊ।

5— श्री एस.बी. सिंह, उममहानिदेशक एवं एस.आई.ओ., एनआईसी, योजना भवन, लखनऊ।

6— मेसर्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एण्ड फाइनेन्स सर्विसेज लि. (आई.एल.एण्ड एफ.एस.लि.), लखनऊ।

7— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डी0के0 सिंह)

संयुक्त सचिव।

G.O.-r

शासनादेश संख्या–3384/नौ–8–11–56ज/07 दिनांक 04 फरवरी, 2011 का संलग्नक

नेशनल ई–गवर्नेन्स प्लान के अन्तर्गत स्टेट सर्विस डिलीवरी गेटवे/ई–फार्म योजना के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों में नगर विकास विभाग की विभिन्न सेवाओं को कामन सर्विस सेण्टर (जन सेवा केन्द्र)/लोकवाणी केन्द्रों के माध्यम से उपलब्ध करायी जाने की प्रकिया।

1– जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत करना (शहरी क्षेत्रों में)

क. जन्म प्रमाण पत्र (मूल प्रति एवं डुप्लीकेट प्रति) निर्गत किया जाना।
ख. मृत्यु प्रमाण पत्र (मूल प्रति एवं डुप्लीकेट प्रति)निर्गत किया जाना

2– जन्म का पंजीकरण :–

क– जन्म और मृत्यु पंजीकरण कानून 1969 और मौजुदा लागू सरकार के अनुसार जन्म का पंजीकरण होना चाहिए।

ख– पंजीकरण का यह आश्वस्त होना आवश्यक है कि जन्म पंजीकरण में कोई भी नई प्रविष्टि साथ–साथ और तत्काल जन्म पंजीकरण में भी शामिल हो जानी चाहिए।

3– प्रमाण पत्रों के निर्गत कराने के लिए निम्नलिखित प्रणाली लागू की जायेगी :–

क– आवेदक को अपने निकटतम जनसुविधा केन्द्र/कामन सेंटर/जनसेवा केन्द्र जिसे केन्द्र परिभाषित किया गया है, में जाकर आपरेटर को एक निर्धारित रूप पर (जो आपरेटर के पास रहेगा)उक्त सेवाओं के लिए अनुरोध करना होगा।

ख– आवेदक को अपने पहचान से सम्बन्धित एवं चिकित्सालय द्वारा जन्म /मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

ग– केन्द्र के आपरेटर द्वारा सभी आवश्यक विवरण आवेदक से प्राप्ति के उपरान्त पंजीयन से सम्बन्धित ई–फार्म में भरा जायेगा।

घ– आवेदक द्वारा प्रदत्त अभिलेखों को केन्द्र के आपरेटर द्वारा स्कैन किया जायेगा।

ड.– फार्म में सभी प्रविष्टियों को पूर्ण करने के उपरान्त आपरेटर द्वारा फार्म की पुष्टि के लिए आवेदक को प्राप्त कराया जायेगा।

च– आवेदक द्वारा फार्म में उल्लिखित सभी प्रविष्टियों को चेक कर उसकी पुष्टि की जायेगी तथा फार्म की प्रविष्टियां सही पाये जाने पर आवेदक अपने हस्ताक्षर करेगा या अंगूठे का निशान लगाया जायेगा।

छ– तदोपरान्त कामन सर्विस सेंटर द्वारा इलेक्ट्रानिक प्रणाली माध्यम से प्रमाण पत्र हेतु आवश्यकतानुसार सक्षम प्राधिकारी को प्रेषित किया जायेगा। नगरीय क्षेत्र के लिये नगर स्वास्थ्य अधिकारी इस हेतु सक्षम प्राधिकारी होंगे, जिनके माध्यम से प्रार्थना पत्रों का निस्तारण कराया जायेगा। जहां नगर स्वास्थ अधिकारी तैनात नहीं हैं, वहॉ नगर आयुक्त द्वारा अधिकृत उप नगर आयुक्त/सहायक उप नगर आयुक्त सक्षम प्राधिकारी सम्बन्धित नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी होगें।

ज— ई—फार्म एप्लीकेशन पोर्टल में अपने एकाउन्ट को नगर स्वास्थ्य अधिकारी/सक्षम प्राधिकारी नित्य लाग आन करके प्राप्त आवेदनों को आख्या के लिए अग्रसारित करेंगे।

झ— प्रार्थना पत्रों के साथ संलग्नको की वैधता/पूर्णता आदि की जॉच के लिए नगर स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जॉच अधिकारी नामित किये जाये जो कि प्रार्थना पत्रों से सम्बन्धित जांच आख्या प्रस्तुत करेंगे।

ञ— सम्बन्धित निगम/नगर पालिका परिषद के लिये नगर स्वास्थ्य अधिकारी/सक्षम प्राधिकारी आवेदक द्वारा किये गये आवेदन पर निर्धारित प्रकिया के निर्णयानुसार (स्वीकृत अथवा अस्वीकृत की स्थिति स्पष्ट कारण अंकित करते हुए)को ई—फार्म पोर्टल पर संबंधित आवेदन के सापेक्ष अपडेट करेंगे ताकि आवेदक अपने आवेदन की स्थिति पोर्टल के माध्यम से किसी भी कामन सर्विस सेंटर /लोकवाणी केन्द्र से ज्ञात कर सकें।

ट— जारी किये गये जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र संक्षम कार्यालय से जनसेवा केन्द्र के संचालक को अथवा जनसेवा केन्द्रों के संचालको की ओर से किसी अधिकृत प्रतिनिधि अथवा एस.सी.ए. के प्रतिनिधि को प्राप्त करना होगा।

ठ— तदोपरान्त आवेदक जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जनसेवा केन्द्र से प्राप्त कर सकेगा।

उपरोक्त प्रकिया के द्वारा मात्र प्रकिया को पारदर्शी बनाते हुए उसका सरलीकरण किया गया है। प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु शर्ते एवं अन्य नियम पूर्ववत रहेंगे। इन नियमों का अनुपालन कड़ाई से किया जाये ताकि आम नागरिकों को कॉमन सर्विस सेन्टर जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र समय से प्राप्त हो सके तथा पूरी प्रकिया को पारदर्शी बनाने के साथ—साथ सुगम व सरल बनाया जा सके।

कृपया उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

(डी0के0 सिंह)
संयुक्त सचिव।

G.O.-r